न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मोनिका जाखड़ R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/97

प्रकरण संख्या 57/22

अनवान

1. श्री किशनलाल पिता धुला जी कुमावत मृतक के बजाय :–
1/1 देऊबाई पुत्री स्व. किशनलालन जी कुमावत
1/2 भागुबाई पुत्री स्व. किशनलाल जी कुमावत
1/3 शान्तिलाल पिता स्व. उदयलाल जी कुमावत
1/4 प्रेमीबाई पिता स्व. उदयलाल जी कुमावत
1/5 मोहनीबाई पिता स्व. उदयलाल जी कुमावत
2. श्री केशुलाल पिता धुला जी कुमावत
3. श्री वरदीचंद पिता धुला जी कुमावत सर्व निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

बनमा

1. राजय सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

अधिवक्ता उपस्थित 1. श्री नारायणलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

–: : निर्णय : :–

दिनांक :– 11.02.2023

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया की राजस्व ग्राम भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या नया 493, 283 में प्रार्थी की जाति कुम्हार दर्ज है जबकि जमाबंदी सवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 1211 में प्रार्थी की जाति कुमावत दर्ज है। प्रार्थी द्वारा खाता संख्या 493, 283 में जाति कुम्हार त्रुटिपूर्ण दर्ज होने से उसे दुरस्त कर खाता संख्या 493, 283 में जाति कुम्हार के बजाय कुमावत किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है कि :–

I. पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम भीण्डर निवासी किशनलाल, केशुलाल, वरदीचंद पिता धुला जी की जाति कुमावत है तथा बहुत पुराने समय से ही इनकी जाति कुमावत से पहचानी व जानी जाती है। इनकी जाति कुम्हार नहीं है। जमाबंदी खाता संख्या 1211 में जाति कुमावत दर्ज है किन्तु खाता संख्या 283, 493 में सहवन से कुम्हार दर्ज हो गई है। ग्राम भीण्डर के पुर्वजो के समय से ही कुमावत जाति से पहचाना जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.05 12:50:01 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार राजस्व ग्राम भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 के के खाता संख्या नया 493, 283 में प्रार्थी की जाति कुम्हार दर्ज है जबकि जमाबंदी सवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 1211 में प्रार्थी की जाति कुमावत दर्ज है। प्रार्थी द्वारा खाता संख्या 493, 283 में जाति कुम्हार त्रुटिपूर्ण दर्ज होने से उसे दुरस्त कर खाता संख्या 493, 283 में जाति कुम्हार के बजाय कुमावत किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की प्रार्थीगण की जाति कुमावत है। प्रार्थीगणों को पुराने समय से ही जाति कुमावत से ही जाना पहचाना जाता है। इनकी जाति कुम्हार नहीं है। खाता संख्या 283, 493 में जाति सहवन से जाति कुम्हार दर्ज होना बताया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, बिजली बील की प्रति पेश की। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पार्षद नगरपालिका भीण्डर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रमाणित किया गया कि प्रार्थीगणों की वास्तविक जाति कुमावत है तथा जाति कुम्हार से कुमावत संशोधित किये जाने की अनुशंषा की गई।

4. अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया कि जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 1211 में प्रार्थीगण की जाति कुमावत दर्ज है जबकि खाता संख्या नया 493, 283 में प्रार्थीगण की जाति कुम्हार दर्ज है जो की त्रुटिपुर्ण है। प्रार्थीगण की जाति खाता संख्या नया 493, 283 में जाति कुम्हार दर्ज होने से प्रार्थीगण को असुविधा हो रही है जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 493, 283 में प्रार्थीगण की जाति कुम्हार के बजाय कुमावत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदस्तुर रहें। प्रकरण में पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.05 12:50:07 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सुनाया गया।